न्यायालय अति. कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 05/2024
Gems reg. No. 2024/31

प्रार्थी :–

पुलिस अधीक्षक,
बांसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री निसार पिता श्री नियाज मोहम्मद
निवासी कुशलगढ, पुलिस थाना कुशलगढ,
जिला बांसवाडा (राज.)

निर्णय

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा द्वारा गैर सायल श्री निसार पिता श्री नियाज मोहम्मद निवासी कुशलगढ, पुलिस थाना कुशलगढ, जिला बांसवाडा (राज.) के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत एक इस्तगासा प्रस्तुत कर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 03 के तहत कार्यवाही अमल में लाये जाने निवेदन किया।

पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार निम्नांकित आधारों पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :–

क्र.सं	प्रकरण संख्या कायमी दि.	जुर्म धारा	चालान नंम्बर	न्यायालय निर्णय
1	334/07.11.2016	13 आरपीजीओ	251/10.11.2016	सजा
2	73/21.02.2020	13 आरपीजीओ	73/16.03.2016	सजा
3	220/08.09.2020	13 आरपीजीओ	139/26.09.2020	सजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.25 10:55:55 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार गैरसायल श्री निसार पिता श्री नियाज मोहम्मद निवासी कुशलगढ, पुलिस थाना कुशलगढ, जिला बांसवाडा (राज.) जो राजस्थान जुआ अधिनियम के तहत कुल 3 प्रकरण में दोषसिद्ध ठहराया जाकर सजायाब हुआ है। जिसके उपरान्त भी गैर सायल चोरी छुपे अभी भी अवैध जुआ–सट्टे में लिप्त है। गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् कार्यवाही करने निवेदन किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अति. जिला कलक्टर बांसवाड़ा

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 12–03–2024 को अप्रार्थी गैरसायल की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। अप्रार्थी/ गैर सायल ने दिनांक 23–09–2024 को अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर इस्तगासा में अंकित आरोपो स्वीकार कर प्रकरण में नरमी का रुख अपना कर लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने निवेदन किया।

अभियोजन अधिकारी ने कथन किया गया कि इस्तागासे के संलग्न दस्तावेजो के अनुसार गैरसायल पर धारा 13 आरपीजीओ में कुल 3 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने पर बाद ट्रायल 3 प्रकरणों में दोष सिद्ध ठहराया जाकर सजायाब हुआ है। गैर सायल चोरी छुपे अभी भी अवैध जुआ–सट्टे के धन्धे में लिप्त है।

हमने पत्रावली तथा उसमें संलग्न अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। जिससे राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) तथा उसके अनुलग्न स्पष्टीकरण के अवलोकन से यह पुर्णतः स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को तभी "गुण्डा" कहा जा सकता है, जब राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के खण्ड (i) से (viii) में संदर्भित अपराध प्रमाणित हो जाता है एवं उक्त प्रमाणित अपराध के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा उसे सजा दी गई हो। पुलिस अधीक्षक बांसवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3, राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 विरुद्ध अप्रार्थी/ गैरसायल के भी 3 संज्ञेय अपराध किये जाने की सूचना अंकित है एवं परिवाद में तत्सम्बन्धी आवश्यक साक्ष्य/ सबुत पेश किये है। अभियोजन अधिकारी द्वारा भी गैर सायल के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरणो में कार्यवाही किये जाने हेतु सिफारीश की गई है। प्रकरण में आरोपी स्वयं द्वारा अपराध स्वीकार कर लिया गया है अतः अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है।

चूंकि अप्रार्थी/ गैरसायल को उपर वर्णित 3 प्रकरणो में अपराध प्रमाणित होने से सक्षम न्यायालय द्वारा सजा भी दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/ गैरसायल श्री निसार पिता श्री नियाज मोहम्मद निवासी कुशलगढ, पुलिस थाना कुशलगढ, जिला बांसवाडा (राज.) को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के अनुसार "गुण्डा" घोषित किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि –

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.25 10:55:55 IST
Reason: SelfAttested

1. श्री निसार पिता श्री नियाज मोहम्मद निवासी कुशलगढ, पुलिस थाना कुशलगढ, जिला बांसवाडा (राज.) को जिला बांसवाडा की सीमा से 40 दिवस की अवधि के लिये

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाडा (राज.)

निष्कासित किया जाता है। इस अवधि में पुलिस थाना सागवाडा जिला डुंगरपुर (राज.) अन्तर्गत क्षेत्र में रहने की स्वीकृति दी जाती है।

2. यदि गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण जिला बॉसवाडा में स्थित किसी न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा, परन्तु इसके पूर्व गैर सायल को संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी।

3. अप्रार्थी/ गैर सायल को पाबंद किया जाता है कि निष्कासन की अवधि में पुलिस थाना सागवाडा जिला डुंगरपुर में साप्ताहिक उपस्थिति देगा एवं बगैर उनको सूचित किये क्षेत्र नही छोडेगा और ना ही जिला बांसवाडा की सीमा में प्रवेश करेगा।

4. निष्कासन अवधि के दौरान कोई भी तीखा/ धारदार अस्त्र या आयुध, कोई भी मादक पदार्थ/ मदिरा, विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु उसके कब्जे में होना या उसके द्वारा उपयोग किया जाना निषेध रहेगा।

5. किसी विशिष्ट शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, मेला, हाटबाजार, सिनेमाधर या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल जैसे सार्वजनिक पार्क, रेस्टोरेंट, होटल अथवा किसी भी सरकारी भवन के समीप से विशिष्ट दूरी के भीतर उपस्थित नही हो सकेगा।

निर्णय आज दिनांक 23/09/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.25 10:55:55 IST
Reason: SelfAttested